

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर

पत्रांक २७९० /२-६, दिनांक, गोरखपुर, मई २० / 2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय—

जनपद देवरिया में सोनौली-बलिया मार्ग एस०एच०-१ कि०मी० 153-154 के मध्य ग्राम-अहिलवार बुजुर्ग, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया में एस्सार आयल लिमिटेड द्वारा पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित ०.०७५०२८ हेक्टर संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ—

मुख्य वन संरक्षक /नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-2112/11-सी-एफ०पी०/य०पी/अन्य/16134/2015 दिनांक 22.02.2024 व प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, देवरिया का पत्रांक-2464/2-6, दिनांक 20.04.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया ने अपने पत्रांक- 2464/2-6, दिनांक 20.04.2024 द्वारा संशोधित प्रस्ताव का अभिलेख इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया। उपलब्ध करायी गयी संशोधित प्रस्ताव/अभिलेख एत्सह संलग्न कर आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार


संख्या—

अ/दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,
(भीम सेन)

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर



(भीम सेन)
मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया
पत्रांक २५६४ /२-६ दिनांक, देवरिया, अप्रैल २० / 2024
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर।

विषय :-

जनपद-देवरिया में सोनौली-बलिया मार्ग एस0एच0-1 कि0मी0 153 से 154 के मध्य ग्राम-अहिलवार बुजुर्ग, तहसील-सदर जनपद-देवरिया में एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.075028 हे० संरक्षित वन भूमि को बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं लवायु परिवर्तन विभाग उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-2112/11-सी-एफ०पी०/ य०पी०/अन्य/ 16134 / 2015 दिनांक 22.02.2024।


महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा उक्त विषयक पेट्रोल पम्प के प्रस्ताव में कमियों का निराकरण कर आख्या निम्न प्रकार है:-


कि० सं०	आपत्ति	उत्तरालेख
1	ऑन लाईन पार्ट-11 के कमांक-4 में हरियाली घनत्व 0.04 अंकित है। जबकि एन०पी०वी० की गणना में 0.4 है। अतः सही हरियाली घनत्व 0.4 ऑन लाईन-पार्ट-2 में फीड करे तथा हिन्दी भाग-2 में सही हरियाली घनत्व 0.4 अंकित कर ऑन लाईन अपलोड करें।	ऑन लाईन पार्ट-11 के कमांक-4 में हरियाली घनत्व 0.04 अंकित है। जबकि एन०पी०वी० की गणना में 0.4 है। हरियाली घनत्व 0.4 ऑन लाईन-पार्ट-2 में फीड कर दिया गया है तथा हिन्दी भाग-2 में सही हरियाली घनत्व 0.4 अंकित कर ऑन लाईन अपलोड कर दिया गया है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय


(जगदीश आर)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया


30/
2/25/24
मुख्य
01-05-2024

योजना / स्कीम का स्थान	सोनौली-बलिया मार्ग एस0एच0-10 किमी0 153-154 के नव्य एस्सार आयेल लिमिटेड द्वारा गाटा संख्या-547 मीट्रो ग्राम-आहिलवार बुजुर्ग तड़पील-स्तर, जनपद-देवरिया से पेट्रोल पम्प की स्थापना में एथेंश मार्ग हेतु 0.075028 हेतु संरक्षित वन भूमि का विना वृक्ष पातन हेतु गैर वानिकी प्रयोग के अनुबंध के सम्बन्ध में।
I-राज्य/संघ शासित वन	उ030 राज्य
II-जल	देवरिया
III-वन प्रणाली	सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया
IV-नेटर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	0.075028 हेतु
V-वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन
VI-प्रजाविवार (विज्ञानिक नाम) और परिवेश श्रेणीवार घुटाऊं की परिवेणना (संलग्न की जाय)। सिंचाई/जलीय परियोजना के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0-4 गीटर भी संलग्न किये जाय।	-
VII-हरियाली का घनत्व	0.4
VIII-भूतरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता का संक्षिप्त टिप्पणी	लागू नहीं
IX-वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	0.00
X-वया फर्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अन्याय, जैवमण्डल, रिंजन वाद, रिंजन हाईकोर्ट आदि का भा है (यदि हैं क्षेत्र का व्योरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डर की टिप्पणियाँ अनुबन्धित की जायें)।	रिक्त है।
XI-वया क्षेत्र से वनस्पति और प्राकृतिक गत की दुलर्ह/स्किटापन/पिशिष्ट प्रजातियों पार्ह जाती है यदि हैं/तो सत्सम्बन्धित व्यौजा दे ?	नहीं
7-वया कोई सुरक्षित पुरातात्त्व/पारन्परिक सील/स्थान प्रतिष्ठान और अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र स्थित है। यदि हैं तो तत्सम्बन्धी व्यौजा सक्षम प्राविकरण से जनापरित प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो तो।	नहीं
8-प्रयोक्ता एजन्सी द्वारा नाम-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांच गये विकल्पों के व्योरों के साथ नदवार संस्तुति को बता है।	न्यूनतम है।
9-वया अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हैं/नहीं) यदि हो तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यावाही सहित कार्य का व्योरा दे क्या उल्लंघन कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं
10-प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्योरा	संलग्न है।
(I) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिवारित क्षेत्र/अवक्षित वन क्षेत्र और आस-पास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या-प्रत्येक भू-खण्ड का आकार	लागू नहीं
(II) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिवारित वनेतर/अवक्षित वन क्षेत्र और आस-पास के वन सीमाओं को दर्शाता नैप	रिक्त।
(III) सोपिन की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजन्सी, समय अनुसूची लागत छावा आदि	रिक्त।
(IV) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये स्कीम के लिये कल वित्तीय परिव्यय	रु0 165770.00
(V) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिवारित क्षेत्र की उपायुक्ता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सकाम प्राविकार से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा छन्तावारित किया जाय)	रिक्त।
11-जिला वन संस्कार की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम-7(XI,XII) 8 से 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न है।
12-विमान/जिला प्रोकाइल	स्थानान्वयन, देवरिया, जनपद-देवरिया मीट्रो नं0 7839435132
(I) जिले का नागरिक क्षेत्र	2527.20 वर्ग किमी0 या 2527200.00 हेतु
(II) जिले का वन क्षेत्र	264,345 हेतु
(III) नामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	23/160.1626 हेतु
(IV) 1980 में जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	-
(V) वनेतर भूमि पर	-
(VI) वन प्रतिपूरक वनीकरण से हुई प्रगति	रिक्त
(क) वन भूमि पर	56.198 हेतु
(ख) वनेतर भूमि पर	0.16
13-प्रस्ताव को स्वीकृति करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्ताव संस्तुति सहित अग्रेसित।

दिनांक - 20/04/2024

नाम - (जगदीशबाल)

स्थान - देवरिया

प्रधानीय निवेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
देवरिया

R.J. Murali